

भाग II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना / स्कीम का स्थान:- उमरिया जिले में कटनी -उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से म0प्र0 / छग0 सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 78 का दो लेन एवं वेक शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु कुल 30.423 हे0 वनभूमि की मांग।																																																																																						
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	(i)	मध्य प्रदेश																																																																																				
(ii)	जिला	(ii)	उमरिया																																																																																				
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वनमंडल का नाम, उमरिया / परिक्षेत्र का नाम धमोखर, चांदिया, उमरिया, पाली, घुनघुटी / आवेदित क्षेत्र 30.423 हे0																																																																																				
	(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :-																																																																																						
	<table><tr><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)</th></tr><tr><td>धमोखर</td><td>चांदिया</td><td>PF 58</td><td>0.990</td></tr><tr><td>चांदिया</td><td>बरमबाबा</td><td>PF 61</td><td>1.617</td></tr><tr><td>धमोखर</td><td>दुब्बार</td><td>RF 9</td><td>0.432</td></tr><tr><td>चांदिया</td><td>बरमानी</td><td>PF 64</td><td>0.771</td></tr><tr><td>चांदिया</td><td>बरमानी</td><td>PF 65</td><td>0.994</td></tr><tr><td>चांदिया</td><td>लगवारी</td><td>RF 684</td><td>0.168</td></tr><tr><td>उमरिया</td><td>लोढा</td><td>PF 720</td><td>0.045</td></tr><tr><td>उमरिया</td><td>उमरिया कैम्प</td><td>RF 210</td><td>1.238</td></tr><tr><td>उमरिया</td><td>उमरिया कैम्प</td><td>RF 211</td><td>1.455</td></tr><tr><td>उमरिया</td><td>खलेसर</td><td>PF 729</td><td>0.017</td></tr><tr><td>उमरिया</td><td>बांधा</td><td>RF 679</td><td>0.554</td></tr><tr><td>पाली</td><td>धौरई</td><td>RF 577</td><td>0.270</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 534</td><td>1.870</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 514</td><td>2.565</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 309</td><td>3.328</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 308</td><td>0.502</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 295</td><td>1.858</td></tr><tr><td>पाली</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 243,297</td><td>0.931</td></tr><tr><td>घुनघुटी</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 239</td><td>0.920</td></tr><tr><td>घुनघुटी</td><td>सोहागपुर</td><td>RF 238</td><td>0.491</td></tr></table>	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)	धमोखर	चांदिया	PF 58	0.990	चांदिया	बरमबाबा	PF 61	1.617	धमोखर	दुब्बार	RF 9	0.432	चांदिया	बरमानी	PF 64	0.771	चांदिया	बरमानी	PF 65	0.994	चांदिया	लगवारी	RF 684	0.168	उमरिया	लोढा	PF 720	0.045	उमरिया	उमरिया कैम्प	RF 210	1.238	उमरिया	उमरिया कैम्प	RF 211	1.455	उमरिया	खलेसर	PF 729	0.017	उमरिया	बांधा	RF 679	0.554	पाली	धौरई	RF 577	0.270	पाली	सोहागपुर	RF 534	1.870	पाली	सोहागपुर	RF 514	2.565	पाली	सोहागपुर	RF 309	3.328	पाली	सोहागपुर	RF 308	0.502	पाली	सोहागपुर	RF 295	1.858	पाली	सोहागपुर	RF 243,297	0.931	घुनघुटी	सोहागपुर	RF 239	0.920	घुनघुटी	सोहागपुर	RF 238	0.491		
परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मे)																																																																																				
धमोखर	चांदिया	PF 58	0.990																																																																																				
चांदिया	बरमबाबा	PF 61	1.617																																																																																				
धमोखर	दुब्बार	RF 9	0.432																																																																																				
चांदिया	बरमानी	PF 64	0.771																																																																																				
चांदिया	बरमानी	PF 65	0.994																																																																																				
चांदिया	लगवारी	RF 684	0.168																																																																																				
उमरिया	लोढा	PF 720	0.045																																																																																				
उमरिया	उमरिया कैम्प	RF 210	1.238																																																																																				
उमरिया	उमरिया कैम्प	RF 211	1.455																																																																																				
उमरिया	खलेसर	PF 729	0.017																																																																																				
उमरिया	बांधा	RF 679	0.554																																																																																				
पाली	धौरई	RF 577	0.270																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 534	1.870																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 514	2.565																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 309	3.328																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 308	0.502																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 295	1.858																																																																																				
पाली	सोहागपुर	RF 243,297	0.931																																																																																				
घुनघुटी	सोहागपुर	RF 239	0.920																																																																																				
घुनघुटी	सोहागपुर	RF 238	0.491																																																																																				

घुनघुटी	सोहागपुर	RF 236	0.733	
घुनघुटी	सोहागपुर	RF 215	0.868	
घुनघुटी	सोहागपुर	RF 216	0.315	
घुनघुटी	अम्बिका	RF 331	0.405	
योग :-			23.287	

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)
उमरिया	बांधवगढ़	करकेली	2/1, 2	0.375
उमरिया	बांधवगढ़	करकेली	59/8 to 59/9 क 1	0.495
उमरिया	बांधवगढ़	बरही	594/1	0.090
पाली	पाली	गिंजरी	16	0.142
पाली	पाली	गिंजरी	17	0.218
पाली	पाली	गिंजरी	14	0.080
पाली	पाली	गिंजरी	20	0.200
पाली	पाली	गिंजरी	23	0.104
पाली	पाली	गिंजरी	30	0.168
पाली	पाली	गिंजरी	31	0.100
पाली	पाली	गिंजरी	33	0.160
पाली	पाली	गिंजरी	34	0.232
पाली	पाली	गिंजरी	36	0.272
पाली	पाली	गिंजरी	39/1	0.288
पाली	पाली	गिंजरी	42	0.244
पाली	पाली	गिंजरी	65	1.444
पाली	पाली	गिंजरी	83/2/8	0.140
पाली	पाली	गिंजरी	83/2/8 क	0.280
पाली	पाली	गिंजरी	102	0.272
पाली	पाली	गिंजरी	107	0.040
पाली	पाली	गिंजरी	110	0.304
पाली	पाली	धौरई	3	0.260

(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	(ix)	आवेदित क्षेत्र आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड की सीमा से शून्य कि.मी. पर स्थित है।																	
(x)	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है?(यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव गार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए।	(x)	आवेदित वनक्षेत्र निकटतम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 30 कि०मी० की दूरी पर है।																	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	(xi)	<table><tr><th colspan="2">प्रजाति</th><th colspan="3">स्थिति (कृपया टिक करें)</th></tr><tr><th>अ. क्र.</th><th>स्थानीय नाम</th><th>वैज्ञानिक नाम</th><th>दुर्लभ</th><th>संकटापन्न</th><th>विशिष्ट</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="5">प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।</td></tr></table>	प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)			अ. क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट	1.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।				
प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)																		
अ. क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट															
1.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।																			
(xii)	क्या कोई संरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	(xii)	आवेदित क्षेत्र तथा इसके आस पास में संरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थित नहीं है।																	
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग 1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।																	
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/ नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि,		नहीं																	

	दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं?														
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा														
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू खण्ड का आकार	(i)	प्रतिपूरक वनीकरण जिला आगर-मालवा के वनमंडल शाजापुर के अंतर्गत चयनित गैर वन भूमि पर किया जावेगा जिसका विवरण नीचे संलग्न है। गैर वन भूमि 31.040 हे०												
			<table border="1"> <tr> <td>जिला</td><td>वनमंडल</td><td>खसरा क्रमांक</td><td>क्षेत्रफल (हे.में)</td></tr> <tr> <td>आगर मालवा</td><td>शाजापुर</td><td>ग्राम रापडी खं.नं. 18/1/1</td><td>19.470</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>ग्राम जोकडा खं.नं. 229</td><td>11.570</td></tr> </table>	जिला	वनमंडल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में)	आगर मालवा	शाजापुर	ग्राम रापडी खं.नं. 18/1/1	19.470			ग्राम जोकडा खं.नं. 229	11.570
जिला	वनमंडल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में)												
आगर मालवा	शाजापुर	ग्राम रापडी खं.नं. 18/1/1	19.470												
		ग्राम जोकडा खं.नं. 229	11.570												
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र	(ii)	वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा वन प्रबंधन की दृष्टि से यह क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु योग्य है। इस संबंध में वनमंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र वृक्षारोपण योजना में संलग्न है।												
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमायों को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट कॉपी) -5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच =1 मील) भी संलग्न किया जावे।	(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्ताव में हस्ताक्षरित मानचित्र संलग्न है।												
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण क्रियान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि	(iv)	दस वषीय प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक कुल रु 25373351 का व्यय सभावित है।												
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल		प्रस्ताव में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 237 संलग्न है।												

	अधिकारी)की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गणप गणप), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		
12	विभाग / जिला प्रोफाईल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4503 वर्ग किमी है।
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र 2325.48 वर्ग कि.मी. है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 51.64% है।
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	(iii)	अभी तक जिले में 21 प्रकरणों में कुल 1704.953 हे. वनक्षेत्र गैरवानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	(iv)	24.10.80 से भारत सरकार / राज्य सरकार / नोडल अधिकारी मुख्य वन सारक्षक(भू-सर्वे.) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 21 प्रकरणों में निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।					
			वर्ष	दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में (हे. में)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे.में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.में)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे.में)	योग
				1151.238	—	1011.624	—	2162.907

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	(v)	(क) वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर } स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 2162.907 हे. अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है :-
-----	---------------------------------	-----	---

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप		(क) वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पुरे अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण 2305.94 हे.0 राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 78 का उन्नयन होने से उमरिया जिले एवं शहडोल संभाग से लगे छ0ग0 प्रान्त के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
----	---	--	---

वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत	उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। अतः 30.423 हे० वन तथा राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।
नोट-आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	

तिथि
स्थान: उमरिया

(एम.एल. नाडिया)
भा.व.से.

वनसंरक्षक

एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
उमरिया वनमण्डल (म.प्र.)